

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- जालोर में सहकारिता विभाग का निरीक्षक 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 30 जून, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुमेर सिंह सहकारिता निरीक्षक, जिला जालौर को परिवादी से 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा आवेदन किये गये सहकारी संस्था के रजिस्ट्रेशन की जाँच कर स्वीकृत करवाने की एवज में सुमेर सिंह सहकारिता निरीक्षक, जिला जालौर द्वारा 60 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई के सुपरवीजन में एसीबी जालोर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये सुमेर सिंह पुत्र श्री रामलाल निवासी ग्राम खुड़ी, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू हाल सहकारिता निरीक्षक, जिला जालोर को परिवादी से 30 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी निरीक्षक द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 30 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।